



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-240

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281336 दिनांक 07/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Hariman Meena S/o JINSI RAM MEENA एवं Meena Kumari Meena W/o Hariman Meena	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह	6	109.12 SQ. METER	Private	SHANKAR VIHAR Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना शंकर विहार के भूखण्ड संख्या 6 क्षेत्रफल 109.12 वर्गमीटर की लीजडीड दिनांक 11.08.2021 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.01.2022 को श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह के द्वारा श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल पत्नि श्री राकेश खण्डेलवाल एवं श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2022 को श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल पत्नि श्री राकेश खण्डेलवाल एवं श्री राकेश खण्डेलवाल पुत्र श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल के द्वारा श्री हरिमन मीना पुत्र श्री जिन्सी राम मीना एवं श्रीमती मीना कुमारी मीना पत्नि श्री हरिमन मीना के पक्ष में कर दिया गया। उक्त भूखण्ड में एक से अधिक बैचान होने पर सार्वजनिक विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना प्रस्तावित है। आवेदकगण द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Hariman Meena S/o JINSI RAM MEENA एवं Meena Kumari Meena W/o Hariman Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।